फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरा **विपक्षी : श्री मुकेश**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 130/18**

जीसीएमएस : 2018/00430

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 26.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 243 पर दर्ज आराजी नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 किता 5 कुल रकबा 0.2268 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 5 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थीगण द्वारा खातेदार नोजी पुत्री भगा फौत होने से स्वयं को वारिस बताते हुए नोजी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा खातेदारान द्वारा पूर्व में आपसी पांती बंटवाडा कर मौके मकान निर्माण होने से एवं विपक्षीगण सहखातेदार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से फौत खातेदार नोजी प्रार्थीगण की बहन होना प्रतीत होता हैं। मूल वाद बंटवाडे का होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है व विपक्षीगण मौके पर नया निर्माण कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested

सामना करना पडेगा परन्तु विपक्षीगण सहखातेदार होने से यदि केवल मात्र विपक्षीगण को ही पाबंद किया जाता है तो विपक्षीगण के साथ कठुराघात होगा। अतः उभय पक्षकारान खातेदार होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण में दिनांक 05.02.2019 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौजा धोलीमगरी पटवार हल्का धोलीमगरी तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 243 पर दर्ज आराजी नम्बर 679, 680, 681, 682, 683 किता 5 कुल रकबा 0.2268 हेक्टेयर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:20 IST
Reason: SelfAttested